9-1-25

पत्रावली पेश है। कमलाल अभिलेख के मूल दावा पत्रावली में निर्णय पारित हो चुका है जिससे इस पत्रावली में कोई पालना होक अपील नहीं रही है अतः पत्रावली में पालना अपील नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज कीजाती है पत्रावली रजिस्टर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिले दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राजस्व)